[2018] 13 एस. सी. आर. 139

भारत संघ और ए. एन. आर.

वी.

मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड।

(सिविल अपील सं. 10177

2018)

अक्टूबर 03,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017: की वैधता-आयोजित: संवैधानिक रूप से मान्य है-अनुच्छेद 270

संसद को कानून और धाराओं द्वारा कोई भी उपकर लगाने का अधिकार देता है। 18 संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 स्पष्ट रूप से संसद को माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर कानून द्वारा मुआवजे का प्रावधान करने का अधिकार देता है।

राज्यों को माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए और उसमें उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति कानून का व्यापक महत्व है जिसमें उपरोक्त उद्देश्य के लिए कोई उपकर लगाना शामिल है।

- इस प्रकार, 2017 का अधिनियम विधायी क्षमता से परे नहीं है।

संसद के अलावा, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) विधेयक, 2014 के उद्देश्यों और कारणों के विवरणों में उद्देश्य संसद और राज्य विधानमंडल को वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाने के लिए समवर्ती कर लगाने की शक्तियां प्रदान करना था-अनुच्छेद 246ए (1) संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है-कानून बनाने की शक्ति सामान्य प्रविष्टि से संबंधित सामान्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह विशेष रूप से निम्नलिखित से संबंधित है -

वस्तु और सेवा कर-जब वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की व्यक्त शक्ति है, तो यह नहीं समझा जा सकता है कि इस तरह की शक्ति में वस्तु और सेवा कर पर उपकर लगाने की शक्ति कैसे शामिल नहीं होगी-इस प्रकार, 2017 का अधिनियम संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 का उल्लंघन नहीं करता है और न ही यह उद्देश्य के खिलाफ है।

संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016-2017 का अधिनियम एक रंगीन कानून नहीं है-वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर नियम, 2017-भारत का संविधान।

राज्यों को क्षतिपूर्ति उपकर और उसी पर जी. एस. टी.

कराधान कार्यक्रम-आयोजित की अनुमतिः दो कर/ढोंग जो अलग-अलग और अलग-अलग ढोंग हैं और लेन-देन के दो अलग-अलग पहलुओं पर अनुमत हैं क्योंकि कानून में कोई अतिव्यापी नहीं है-सामान

और 2017 के अधिनियम के तहत लगाया गया सेवा कर और अधिनियम के तहत प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर आपूर्ति पर उपकर लगाना और अधिनियम के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति कानून में दो अलग-अलग ढोंग हैं और इसे किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध नहीं किया गया है ताकि इसे अमान्य घोषित किया जा सके-इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक ही कर योग्य घटना पर राज्यों को मुआवजा उपकर लगाने की अनुमति नहीं है-राज्यों को मुआवजे का उपकर एक वृद्धि है।

माल और सेवा कर जो कानून में अनुज्ञेय है। याचिकाकर्ता द्वारा कोयले के भंडार पर 30.06.2017 तक भुगतान किया गया स्वच्छ ऊर्जा उपकर-राज्यों को मुआवजे के भुगतान में इसे निर्धारित करने का अधिकार-आयोजितः स्वच्छ ऊर्जा उपकर और राज्य मुआवजा उपकर पूरी तरह से अलग-अलग उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता है-स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाता है और स्वच्छ ऊर्जा पहल के वित्तपोषण और बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के वित्तपोषण के उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता है, जबकि राज्य मुआवजा उपकर माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एकत्र किया जाता है-ऋण देना या भुगतान में सेट ऑफ करना विधायी नीति है जिसे विधायी योजना में प्रतिबिंबित किया जाना था -

राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 या उसके तहत बनाए गए नियम

आई. डी. 1 तक पहले से ही भुगतान किए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर के किसी भी क्रेडिट या सेट ऑफ का संकेत नहीं देता है-इस प्रकार, याचिकाकर्ता राज्यों को मुआवजे के भुगतान में सेट ऑफ का हकदार नहीं है, जिस हद तक वह पहले ही स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान कर चुका है।

अपीलों को अनुमति देना और स्थानांतरित मामलों को खारिज करना,

न्यायालय पकड़नाः

क्या राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 संसद की विधायी क्षमता से परे है?

1.1 अनुच्छेद 246ए में प्रावधान है कि "अनुच्छेद 246 और 254 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद और

खंड (2), प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। तत्काल मामले में, चिंता राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 द्वारा लगाए गए उपकर के साथ है। अधिनियम की धारा 8 उपकर के संग्रह को लागू करती है और अधिकृत करती है। [पैरा 35] [161-ए-बी] यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर.

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड।

शिंदे ब्रदर्स आदि। उपायुक्त, रायचूर और अन्य आदि। ए. आई. आर 1967 एस. सी 1512: [1967] एस. सी. आर. 548; इंडिया सीमेंट लिमिटेड और अन्य बनाम तमिलनाडु और अन्य राज्य (1990) 1 एस. सी. सी. 12: [1989] 1 पूरक। एस. सी. आर. 692; विजयलक्ष्मी राइस मिल और अन्य बनाम। वाणिज्यिक कर

अधिकारी, पालकोल और अन्य (2006) 6 एस. सी. सी. 763: [2006]

4 पूरक। एस. सी. आर. 279 संदर्भित है। ब्लैक का कानून शब्दकोश, दसवां संस्करण; पी. रामनाथ अय्यर द्वारा उन्नत कानून शब्दकोश तीसरा संस्करण-संदर्भित।

1.2 "उपकर" पद का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया कर, जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए वृद्धि के रूप में लगाया जा सकता है।

1.3 विवादित विधान, राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 के संदर्भ में, सातवीं अनुसूची की सूची II या सूची III में कोई प्रविष्टि नहीं पाई जाती है, जो विचाराधीन उपकर के उद्ग्रहण को संदर्भित कर सकती है। अनुच्छेद 246 और 246 ए के साथ पठित अनुच्छेद 248 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधान की अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है। तत्काल मामले में, कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि कानून का विषय यह राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर था, और यह कि संसद को कानून बनाने की कोई क्षमता नहीं थी। एच. एस. ढिल्लन के परीक्षण को लागू करने से संसद में विधायी क्षमता की कोई कमी नहीं पाई जाती है। [पैरा 41] [164-बी-सी]

भारत संघ बनाम। हर्भजन सिंह ढिल्लों (1971) 2

इसके बाद एस. सी. सी. 779 आया।

होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1983) 4 एससीसी 45; एम. पी. वी. सुंदररामियर और

को. वी. ए. पी. और अन्य राज्य ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 468: [1983]

3 एस. सी. आर. 130-लागू नहीं होता है।

1.4 वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां वस्तु और सेवा कर के संबंध में उपकर लगाया जाता है, उपकर की परिभाषा इस प्रकार है - राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 की धारा 2 (सी) में कहा गया है कि "उपकर का अर्थ है धारा 8 के तहत लगाया गया वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर"। [पैरा 44] [166-एच; 167-ए] [2018] 13 एस. सी. आर.

1.5 संविधान का अनुच्छेद 270, जैसा कि संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 से पहले मौजूद था।

संसद कानून द्वारा कोई भी उपकर लगाएगी। अंत में, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 स्पष्ट रूप से संसद को "कानून द्वारा" अधिकार देती है - वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों में, वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017। इस प्रकार, राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 संसद की विधायी क्षमता से परे नहीं है। [पैरा 46,47] [167-सी-डी] क्या राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करता है और संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) के उद्देश्य के खिलाफ है।

संशोधन) अधिनियम, 2016 और क्या राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 एक रंगीन कानून है?

2.1 उद्देश्यों और कारणों के विवरणों में से एक उद्देश्य था "उन्हें समवर्ती कर लगाने की शक्तियां प्रदान करना।

संसद और राज्य विधानमंडल वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाएँगे। अनुच्छेद 246 ए उप-अनुच्छेद (1) संसद को "वस्तुओं और वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने" का अधिकार देता है।

सेवा कर "। "के संबंध में" शब्द विस्तार का शब्द है। [पैरा 50] [168-एफ-जी]

एम/एस। डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ और अन्य (1988) 2 एस. सी. सी. 299: [1988] 2 एस. सी. आर. 962; दीवान चंद बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बनाम। भारत संघ और अन्य (2012) 1 एस. सी. सी. 101:

[2011] 13 एस. सी. आर. 214; यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए. एन. आर. वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड।

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी

AIR 1954 SC 282 [1954] SCR 1005-आयोजित

अप्रयोज्य।

2.2 अनुच्छेद 246ए में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति" है। इस प्रकार, कानून बनाने की शक्ति सामान्य प्रविष्टि से संबंधित सामान्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह विशेष रूप से वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। जब व्यक्त किया जाता है

वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, यह नहीं समझा जा सकता है कि इस तरह की शक्ति में वस्तु और सेवा कर पर उपकर लगाने की शक्ति कैसे शामिल नहीं होगी। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 को विभिन्न करों, अधिभारों और उपकरों को एक कर में समाहित करने के लिए पारित किया गया था, लेकिन संवैधानिक प्रावधान से यह संकेत नहीं मिलता है कि अब से कोई अधिभार या उपकर नहीं लगाया जाएगा। [पैरा 55] [171-ए-बी]

विधेयक, 2014 को संविधान संशोधन अधिनियम में जगह नहीं मिली। इसके अलावा, विधेयक के खंड 19 को संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के रूप में स्थान मिलता है। इस प्रकार, कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे को संवैधानिक प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। इसके अलावा, राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 की प्रस्तावना में संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान करने के लिए अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 को स्पष्ट संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के तहत अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार, समर्पण में कोई बल नहीं है कि

राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 संविधान का उल्लंघन करता है (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016। [पैरा 56,57] [171-डी-एफ, एच; 172-ए]

2.4 यह अभिनिर्धारित करते हुए कि संसद के पास अधिनियम को अधिनियमित करने की पूर्ण विधायी क्षमता है और अधिनियम को संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया है और इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से संविधान (एक [2018] 13 एस. सी. आर.) को पूरा करना है।

3.1 लेन-देन के दो अलग-अलग पहलुओं पर दो कर/ढोंग जो अलग-अलग और अलग-अलग ढोंग हैं "कानून में कोई अतिव्यापी नहीं है" के रूप में अनुमेय। [पैरा 60] [172 एच]

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएट ऑफ इंडिया, आदि. वी. भारत संघ और अन्य (1989) 3 एस. सी. सी. 634: [1989] 2 एस. सी. आर. 918; अविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1979) 1 एससीसी 137: [1979] 1 एस. सी. आर. 845-संदर्भित।

3.2 2017 के अधिनियमों के तहत लगाया गया वस्तु और सेवा कर और सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति पर उपकर लगाना और सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति, इस प्रकार, कानून में दो अलग-अलग ढोंग हैं और किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं ताकि इसे अमान्य घोषित किया जा सके। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक ही कर योग्य घटना पर राज्यों को क्षतिपूर्ति उपकर का उद्ग्रहण

अनुमति नहीं है। राज्यों को मुआवजे का उपकर माल और सेवा कर में वृद्धि है जो कानून में अनुमेय है। [पैरा 63-64] [174-D-F] चाहे याचिकाकर्ता द्वारा 30.06 तक भुगतान किए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर के आधार पर। 2017 , याचिकाकर्ता राज्य उपकर के मुआवजे के भुगतान में छूट का हकदार है?

4.1 स्वच्छ ऊर्जा उपकर और राज्यों का मुआवजा

उपकर पूरी तरह से अलग-अलग उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता है। उपखंड के अनुसार वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 की धारा (3) के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा उपकर को स्वच्छ ऊर्जा पहल के वित्तपोषण और बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के वित्तपोषण या भारत और ए. एन. आर. संघ से संबंधित किसी अन्य उद्देश्य के लिए लगाया और एकत्र किया गया था।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड।

जबकि राज्य क्षतिपूर्ति उपकर "माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान करने" के लिए एकत्र किया जाता है। इस प्रकार एकत्र किए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर और जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण भी अलग-अलग है। धारा 83 (6) के तहत स्वच्छ ऊर्जा उपकर का उपयोग संघ के उद्देश्यों के लिए किया जाना था और राज्यों को वितरित नहीं किया जाना था

जबकि राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए राज्यों के बीच राज्य क्षतिपूर्ति उपकर को पूरी तरह से वितरित किया जाना है। [पैरा 65-66] [174-G-H; 175-A-B]

4.2 याचिकाकर्ता का निवेदन कि याचिकाकर्ता को करना चाहिए

स्वच्छ ऊर्जा उपकर के भुगतान की सीमा तक का श्रेय 30.06.2017 तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा उपकर और राज्य मुआवजा उपकर एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं, स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान अलग-अलग उद्देश्य के लिए था और इसका राज्यों के साथ कोई संबंध या संबंध नहीं है क्षतिपूर्ति उपकर। भुगतान में ऋण देना या ऋण चुकाना विधायी नीति है जिसे विधायी योजना में प्रतिबिंबित किया जाना था। राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 या बनाए गए नियम

इसके तहत कोई क्रेडिट देने या पहले से ही 30.06.2017 तक भुगतान किए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर को बंद करने का संकेत नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता राज्य उपकर के भुगतान में उस हद तक छूट का हकदार नहीं है, जिस हद तक वह पहले ही स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान कर चुका है। [पैरा 67] [175-सी-ई]

मामला कानून संदर्भ

[1967] एससीआर 548

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

[1989] 1 पूरक। एससीआर 692

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[2006] 4 पूरक। एससीआर 279

पै

रा 39

संदर्भित किया गया है

(1971) 2 एस. सी. सी. 779

पीछा किया।

पै

रा 41

(1983) 4 एससीसी 45

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 45

[1983] 3 एससीआर 130

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 45

[1988] 2 एससीआर 962

संदर्भित किया गया।

पै

रा 50

[2011] 13 एससीआर 214

संदर्भित किया गया।

पै

रा 51

[1954] एससीआर 1005

संदर्भित किया गया है

पै

रा 52

[1989] 2 एससीआर 918

संदर्भित किया गया है

पै

रा 61

[1979] 1 एससीआर 845

पै

रा 62

13 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 10177

2018 का 2017 की रिट याचिका संख्या 7459 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 25.08.2017 के निर्णय और आदेश से

के साथ

टी. सी. (ग) सं. 9/2018, सिविल अपील सं. 10179/2018।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, सुश्री निशा बागची, बी. कृष्ण प्रसाद, जे. के. मित्तल, राजवीर सिंह, प्रवीण स्वरूप, मेसर्स। खेतान एंड कंपनी, एड. उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अशोक भूषण, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. संसद द्वारा अधिनियमित वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की वैधता के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर

सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर नियम, 2017, वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम इन मामलों में चुनौती के दायरे में हैं। 3. 2017 के एस. एल. पी. (सी) No.25415 से उत्पन्न सिविल अपील भारत संघ द्वारा दिनांक 25.08.2017 के विज्ञापन अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी) No.7459 (मोहित खनिज प्राइवेट लिमिटेड) में पारित किया गया। लिमिटेड बनाम। भारत संघ और एक अन्य)। रिट याचिका में वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियमों की वैधता है वे चुनौती के दायरे में थे। डिवीजन बेंच ने एक आंशिक विज्ञापन अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोयले के भंडार पर अतिरिक्त शुल्क, जिस पर रिट याचिकाकर्ता ने पहले ही वित्त अधिनियम, 2010 के संदर्भ में स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान कर दिया था, उसे आगे कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, कोयले के भंडार पर, जिन पर वित्त अधिनियम, 2010 के तहत कोई स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान नहीं किया गया था, विवादित अधिनियम के संदर्भ में कोई भी भुगतान रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा।

4. इस न्यायालय ने एसएलपी में 22.09.2017 पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश पर रोक लगा दी। 5. 2018 के एस. एल. पी. (सी) No.7708 से

उत्पन्न नागरिक अपील भारत संघ द्वारा दायर की गई है, जिसमें भारत और ए. एन. आर. के संघ द्वारा पारित दिनांक 08.09.2017 के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2017 की रिट याचिका (सी) No.7965 (हिंद एनर्जी एंड कोल बेनिफिकेशन (इंडिया) लिमिटेड बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 2017 की रिट याचिका (सी) No.7965 में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी) No.7965 में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी) No.7965 में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी) No.7965 में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी) No.7965 में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी) No.7965 में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2017 की रिट याचिका (सी भारत संघ और एक अन्य)। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 08.09.2017 दिनांकित अंतरिम आदेश लगभग उसी तरीके से पारित किया जैसा कि 25.08.2017 पर पारित किया गया था। इस न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल के मौखिक अनुरोध पर दिनांक 25.08.2017 के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर 2017 के SLP (C) No.25415 की सुनवाई करते हुए 16.01.2018 पर एक आदेश पारित किया, जिसमें उत्तरदाताओं-रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील भी शामिल हुए, 2017 की रिट याचिका (C) No.7459 को 2017 के SLP (C) No.25415 के साथ सुनवाई के लिए इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। हस्तांतरित मामला (सी) 2018 की सं. 9 (मोहित खनिज प्रा. लि.)। लिमिटेड बनाम। भारत संघ और एक अन्य) को इस न्यायालय में 2017 की रिट याचिका (सी) No.7459 के हस्तांतरण पर पंजीकृत किया गया है।

6. 2018 के हस्तांतरित मामले (सी) संख्या 9 में निर्णय जिसके द्वारा 2018 की रिट याचिका (सी) No.7459 की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जानी है, स्थानांतरित रिट याचिका के साथ-साथ दोनों दीवानी अपीलों का निपटारा करेगा। पक्षों के विद्वान वकील की सहमति से, हम अंततः रिट याचिका पर सुनवाई के लिए आगे बढ़े हैं।

2017 की रिट याचिका (सी) No.7459 में तथ्य

7. मोहित खनिज प्रा. लिमिटेड (इसके बाद 'रिट याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कंपनी है जो

आयातित और भारतीय कोयले का व्यापारी है। रिट याचिकाकर्ता इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका से कोयला आयात करता है और भारतीय खदानों से भी कोयला खरीदता है। वित्त अधिनियम, 2010 आई. डी. 1 से प्रभावी होकर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाता है जो कोयले के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क की प्रकृति का था और खदान से कारखाने में कच्चे कोयले, कच्चे लिग्नाइट और कच्चे पीट को हटाने के समय एकत्र किया जा रहा था। संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 को अन्य बातों के साथ-साथ संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया था।

विभिन्न अप्रत्यक्ष करों और केंद्र और राज्यों के अधिभारों और उपकरों को समाहित करने के लिए, जहां तक वे अंतर-राज्य और राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं। वस्तु एवं सेवा

कर लगाने के लिए संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 पारित किया गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 18 ने संसद को जीएसटी के कारण राज्यों को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए पांच साल के लिए उपकर लगाने में सक्षम बनाया। आई. डी. 1 पर संसद ने तीन अधिनियम बनाए, अर्थात् (1) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017; (2) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017; और (3) वस्तु एवं सेवा कर (2018) 13 एस. सी. आर.

राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 (इसके बाद राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 के रूप में संदर्भित)। 04.05.2017 पर, एक्सैशन लॉज एंडमेंट) एक्ट, 2017 लागू किया गया था, जिसके तहत कई उपकर लगाए गए थे।स्वच्छ ऊर्जा उपकर को निरस्त कर दिया गया। रिट याचिकाकर्ता ने जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर के खिलाफ स्वच्छ ऊर्जा को बंद करने की मांग करते हुए जी. एस. टी. परिषद को असंतोष प्रस्तुत किया। मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिखित याचिका (सी) No.7459 दायर की गई थी। लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में राहत देने का अनुरोध किया:

" इसलिए यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय महामहिम

न्यायालय को खुशी होगी:

ए) प्रत्यर्थियों के खिलाफ प्रमाणपत्र/आदेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करना। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 को यह घोषित करते हुए कि इसमें विधायी क्षमता की कमी है और

असंवैधानिक;

आक्षेपित अधिसूचना संख्या 1/2017 और 2/2017-क्षतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28.06.2017 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया विवादित कानून, अवैध और असंवैधानिक हैं;

घ) प्रत्यर्थी सं. 2 के खिलाफ प्रमाण पत्र/आदेश पत्र या कोई अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करते हुए यह घोषणा करते हुए कि

उत्तरदाता संख्या 2 के पास अनुच्छेद 279 ए के तहत कोई शक्ति नहीं है।

भारत का संविधान वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 या नियम बनाने और अधिसूचना जारी करने के तहत उपकर लगाने और संग्रह के लिए कोई भी सिफारिश, जो भी हो, करेगा।

विवादित कानून ने कहा; ई) प्रतिवादी संख्या 2 को ऐसी अन्य रिट/आदेश/निर्देश जारी करें।

इस माननीय न्यायालय के समक्ष अभिलेख रखने के लिए भारत और ए. एन. आर. के विवादित एन. आई. ओ. एन. के तहत परिकल्पित और लगाए गए उपकर और उपकर के संग्रह के संबंध में दी गई सिफारिश और सभी निर्णय।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017, उक्त विवादित कानून के तहत नियम बनाना और अधिसूचना जारी करना;

च) ऐसी अन्य रिट/आदेश/निर्देश और आगे के आदेश जारी करें जैसे -

माननीय न्यायालय तथ्यों में न्यायसंगत और उचित समझ सकता है और

मामले की परिस्थितियाँ "।

8. दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 25.08.2017 पर विज्ञापन अंतरिम पारित किया। डिवीजन एच ने दिनांकित 25.08.2017 के अंतरिम आदेश में कहा कि राज्य अधिनियम, 2017 को मुआवजा देने के लिए संसद की विधायी क्षमता की कमी के बारे में रिट ऑनर्स द्वारा प्रथम दृष्टया एक मामला बनाया गया है। अनुच्छेद 8,9,13 और 14 में

एम आदेश निम्नलिखित देखा गया:

" 8. न्यायालय स्वच्छ ऊर्जा उपकर के उन्मूलन और जी. एस. टी. व्यवस्था की शुरुआत के इतिहास के आधार पर याचिकाकर्ता के तर्क में प्रथम दृष्टया योग्यता देखता है कि

विवादित अधिनियम को लागू करने के लिए संसद का पता सी. ओ. आई. 101 वें संशोधन अधिनियम की धारा 18 से नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए विवादित अधिनियम को लागू करने के लिए संसद की विधायी क्षमता के संबंध में एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है।

9. इस मामले का एक अन्य पहलू यह है कि विवादित अधिनियम की धारा 8 में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ('सी. जी. एस. टी. अधिनियम') की धारा 9 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ('आई. जी. एस. टी. अधिनियम') की धारा 5 में प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति या दोनों पर उपकर लगाने पर विचार किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उपकर उसी कर योग्य घटना पर लगाया जा रहा है जो सी. जी. एस. टी. और आई. जी. एस. टी. अधिनियमों के तहत लेवी का विषय है। , वस्तुओं की आपूर्ति

और सेवाएँ।

13. इस स्तर पर न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता ने शर्तों के अधीन आंशिक और अंतरिम राहत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। जहां तक कोयले के भंडार पर अतिरिक्त शुल्क की बात है, जिस पर वह पहले ही एफ. ए. के संदर्भ में स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान कर चुका है।

अधिनियम, 2010 के अनुसार, याचिकाकर्ता को आगे कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, कोयले के भंडार पर जिन पर कोई स्वच्छ ऊर्जा नहीं है [2018] 13 एस. सी. आर.

एफ. ए., 2010 के तहत उपकर का भुगतान किया गया था, विवादित अधिनियम के संदर्भ में किया गया कोई भी भुगतान इस याचिका के परिणाम के अधीन होगा। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता के वर्तमान याचिका में सफल होने की स्थिति में, याचिकाकर्ता धनवापसी का हकदार होगा। अधिनियम के तहत भुगतान की गई स्वच्छ ऊर्जा उपकर की राशि और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय अंतिम आदेश में निर्धारित करे।

9. 08.09.2017 पर, 2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 7965 में एक और अंतरिम आदेश पारित किया गया था। 10. हमने रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जे. के. मित्तल और भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री के. के. वेणुगोपाल को सुना है।

11. रिट याचिकाकर्ता के वकील श्री जे. के. मित्तल ने कहा कि संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016

केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों की संख्या को समेकित करने के इरादे से संसद द्वारा वस्तु और सेवा कर (जी. एस. टी.) को कम करने के इरादे से अधिनियम बनाया गया था।

केंद्र और राज्यों को वस्तुओं या सेवाओं दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेनदेन पर जी. एस. टी. लगाने का अधिकार। उपरोक्त संवैधानिक संशोधन का एक स्पष्ट उद्देश्य था कि वस्तुओं की शुरुआत के साथ

और सेवा कर, न केवल अप्रत्यक्ष कर बल्कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए उपकर और अधिभार को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

12. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकर लगाने वाले विभिन्न अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा उपकर/स्वच्छ पर्यावरण उपकर शामिल था, जिसे कोयले पर लगाया और एकत्र किया गया था।

13. राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 संविधान (एक सौ एक सौ) के जनादेश का उल्लंघन करता है।

संशोधन) अधिनियम, 2016। यह संसद का सचेत निर्णय था कि उस पर लगाए गए उपकर सहित सभी उपकरों को समाप्त कर दिया जाए। संविधान के अधिदेश के अनुसार कोयला (एक सौ पहला)

संशोधन) अधिनियम, 2016। विवादित कानून रंगीन कानून है जिसमें विधायी क्षमता का अभाव है। संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 में राज्यों को मुआवजा अधिनियम,

2017 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं पाई गई है। संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 भारत और ए. एन. आर. के संघ को सशक्त नहीं बनाती है।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

संसद उपकर और कर लगाएगी क्योंकि यह संसद को 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए कोई भी कानून बनाने का प्रावधान करती है। विवादित कानून एक रंगीन कानून है जिसमें जहां तक उपकर पर लेवी के संग्रह का संबंध है, विधायी क्षमता का अभाव है।

14. विवादित कानून संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उद्देश्य को विफल कर देता है। एक ही लेन-देन पर दो शुल्क नहीं हो सकते हैं, एक केंद्रीय जी. एस. टी. अधिनियम के तहत और दूसरा विवादित कानून के तहत क्योंकि यह एक ही कर योग्य घटना और एक ही विषय पर लगाए गए दोहरे कराधान के बराबर होगा। इस प्रकार, कानून में एक अतिव्यापी है जिसकी अनुमति नहीं है।

16. विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल प्रस्तुत करते हैं कि उपकर एक विशेष प्रकार के कर के अलावा और कुछ नहीं है। यदि विधायिका संविधान के अनुच्छेद 246 ए के तहत मुख्य कर यानी जी. एस. टी. लगाने में सक्षम है, तो उपकर लगाने की विधायी क्षमता उसी से आती है। स्वयं कर लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 246 ए में "के संबंध में" उपयोग किए गए वाक्यांश का व्यापक निहितार्थ है और यह उपकर लगाने की भी अनुमति देगा। किसी भी मामले में उपकर लगाने की शक्ति का पता संविधान के अनुच्छेद 270 से लगाया जा सकता है।

हालाँकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 97 संघ को कर लगाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करती है। स्वच्छ ऊर्जा उपकर जो वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा लगाया गया था और जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर पूरी तरह से अलग-अलग लेनदेन पर लगाया जाता है और दोनों

वे पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए हैं। स्वच्छ ऊर्जा उपकर कोयले के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क की प्रकृति का था और यह [2018] 13 एस. सी. आर. था।

खदान से कारखाने में कच्चे कोयले, कच्चे लिग्नाइट और कच्चे पीट को हटाने के समय एकत्र किया जाता है, जबकि निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आपूर्ति पर जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। स्वच्छ ऊर्जा उपकर किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पहल के वित्तपोषण और बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के वित्तपोषण के उद्देश्यों के लिए लगाया और एकत्र किया गया था, जबकि वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर एकत्र किया जाता है।

17. उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह ठहराते हुए एक त्रुटि की कि स्वच्छ ऊर्जा उपकर के क्रेडिट का उपयोग भुगतान के लिए किया जाना चाहिए

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर। ऋण और ऋण के प्रवाह का प्रावधान कार्यपालिका का विशुद्ध रूप से नीतिगत निर्णय है। संसद में राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 लागू करने के लिए विधायी क्षमता की कमी नहीं है और न ही

18. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर भरोसा किया है, जिन्हें दलीलों पर विस्तार से विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा।
19. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों और अभिवचनों से निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

(1) क्या राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 से परे है

संसद की विधायी क्षमता?

(2) क्या राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करता है और संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उद्देश्य के खिलाफ है?

(3) क्या राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 एक रंगीन है

कानून?

(4) क्या राज्यों पर उपकर और जी. एस. टी. के लिए मुआवजे का उद्ग्रहण

एक ही कर लगाने की घटना कानून में अनुमत है?

(5) चाहे याचिकाकर्ता द्वारा 30 जून, 2017 तक भुगतान किए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर के आधार पर, याचिकाकर्ता इसमें छूट पाने का हकदार है।

राज्य उपकर को मुआवजे का भुगतान?

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

20. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है। 21. सबसे पहले, हमें प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और इनमें उठाए गए मुद्दों के लिए प्रासंगिक संसदीय अधिनियमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है

मामले।

22. संविधान का बारहवाँ भाग वित्त से संबंधित है। अनुच्छेद 265 में प्रावधान है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 366 में परिभाषाएँ हैं। अनुच्छेद 366 (26ए) "सेवाओं" को "सेवाओं का अर्थ वस्तुओं के अलावा कुछ भी" के रूप में परिभाषित करता है। जबकि अनुच्छेद 366

(29ए) में "वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर" की एक समावेशी परिभाषा शामिल है। लोकसभा में एक विधेयक, संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें केंद्र के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश सहित राज्यों को समान कर लगाने की शक्तियां प्रदान करने के लिए वस्तु और सेवा कर लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव किया गया था, ताकि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के प्रत्येक लेनदेन पर वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाया जा सके। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

माल और सेवा कर लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इन पर समवर्ती कर लगाने की शक्तियां प्रदान की जा सकें।

संघ के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश सहित राज्य वस्तु एवं सेवा कर लगाने के लिए विधानमंडल बनाएगा कानून

वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का प्रत्येक लेन-देन। द.

माल और सेवा कर कई अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा रहा है और है करों के व्यापक प्रभाव को दूर करने और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने का इरादा। प्रस्तावित

सभी पर केंद्रीय और राज्य वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा।

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लेन-देन, उन्हें छोड़कर जिन्हें वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। 2. प्रस्तावित विधेयक, जो संविधान में और संशोधन करने का प्रयास करता है,

अन्य बातों के साथ-साथ, प्रदान करता है

(क) विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों को समाहित करना, जैसे -

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क [2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ड्यूटी जिसे आमतौर पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल के रूप में जाना जाता है

उपकर जहाँ तक वे माल की आपूर्ति से संबंधित हैं और सेवाएँ;

(ख) राज्य मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर का विलय,

मनोरंजन कर (स्थानीय द्वारा लगाए गए कर के अलावा)

राज्यों द्वारा संग्रहित), चुंगी और प्रवेश कर, खरीद कर, विलासिता कर, लॉटरी पर कर, सट्टेबाजी और जुआ;

और राज्य उपकर और अधिभार जहाँ तक वे संबंधित हैं

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति;

((ग)

'विशेष घोषित वस्तुओं' की अवधारणा के साथ वितरण

संविधान के तहत 'महत्व';

(घ) अंतर-राज्यीय वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाना।

वस्तुओं और सेवाओं का लेन-देन;

(ङ) वस्तुओं की आपूर्ति पर अतिरिक्त कर का अधिरोपण, जो इससे अधिक न हो।

एक प्रतिशत। अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान भारत सरकार द्वारा एक अवधि के लिए एकत्र किया जाना दो वर्ष , और उन राज्यों को सौंपा गया जहाँ से आपूर्ति की जाती है

उत्पन्न होता है;

(च) संसद और राज्य को समवर्ती शक्ति प्रदान करना।

माल और सेवाओं को नियंत्रित करने वाले कानून बनाएगी विधायिकाएं कर;

(छ) मादक शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं का कवरेज

मानव उपभोग के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के शुल्क के लिए

कर। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में, यह

यह प्रावधान किया गया है कि ये माल इसके अधीन नहीं होंगे

अधिसूचित तिथि तक वस्तु एवं सेवा कर का उद्ग्रहण वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिश।

(ज)

राज्यों को राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजा वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन का लेखा

एक अवधि के लिए जो पांच साल तक बढ़ सकती है;

XXXXXXXX ""

XXXXXX

23. संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम,

दिनांक 08.09.2016 भारत के संविधान में संशोधन के लिए पारित किया गया था।

246ए, 269ए और 279ए सम्मिलित किए गए। अनुच्छेद 248,249,250,268,269,270,271,286,366 और 368 में भी संशोधन किए गए। ले 268ए को हटा दिया गया था। सातममे सेहो संशोधन कयल गेल छल।सूची I और सूची II में संविधान का द्वंद्व। संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 246ए और 269ए,

यह इस प्रकार है:

" 246ए. वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में विशेष प्रावधान

कर। - (1) अनुच्छेद 246 में कुछ भी निहित होने के बावजूद और 254 , संसद और खंड (2) के अधीन, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाया गया कर।

(2) संसद के पास माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है जहां माल, या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद के प्रावधान, अनुच्छेद 279क के खंड (5) में निर्दिष्ट वस्तु और सेवा कर के संबंध में, वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से प्रभावी होंगे। . 269ए. माल और सेवा कर का शुल्क और संग्रह

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य का पाठचक्रम। — (1) सामान और अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान आपूर्ति पर सेवा कर या

वाणिज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा भारत और ऐसे कर को संघ और संघ के बीच विभाजित किया जाएगा।

राज्यों द्वारा संसद द्वारा प्रदान की जाने वाली रीति

परिषद। स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, भारत के क्षेत्र में आयात के क्रम में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा, या

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य दोनों के दौरान।

(2) खंड (1) के तहत किसी राज्य को बांटी गई राशि भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगी।

(3) जहां खंड (1) के तहत लगाए गए कर के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग अनुच्छेद [2018] 13 एस. सी. आर. के तहत किसी राज्य द्वारा लगाए गए कर के भुगतान के लिए किया गया है।

246 ए, ऐसी राशि भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगी।

(4) जहां अनुच्छेद 246 ए के तहत किसी राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग खंड (1) के तहत लगाए गए कर के भुगतान के लिए किया गया है, वहां ऐसी राशि राज्य की समेकित निधि का हिस्सा नहीं होगी।

(5) संसद, कानून द्वारा, आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है, और जब वस्तुओं, या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है। .

24. उपरोक्त द्वारा संशोधित संविधान का अनुच्छेद 270

एन. डी. एम. टी. अधिनियम इस प्रकार है:

" 270.संघ और संघ के बीच लगाए गए और वितरित किए गए कर

राज्यों को। - (1) संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क, क्रमशः अनुच्छेद 268,269 और 269 ए में निर्दिष्ट शुल्क और करों को छोड़कर, अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार और किसी भी अनुच्छेद के तहत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाया गया कोई उपकर। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अधिरोपित और संग्रहित की जाएगी -

भारत सरकार और संघ के बीच वितरित किया जाएगा

और खंड (2) में उपबंधित रीति से राज्य।

" 9

25. संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 और धारा 19 भी प्रासंगिक है, जो निम्नलिखित के लिए हैं।

टी:

" 18. राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा

वस्तु एवं सेवा कर लागू करना। - संसद करेगी,

वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिश पर कानून द्वारा राज्यों को राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

पाँच वर्ष की अवधि के लिए वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाला।

19. संक्रमणकालीन प्रावधान। इसके बावजूद

अधिनियम, वस्तुओं या सेवाओं पर कर से संबंधित किसी भी कानून का कोई प्रावधान

या दोनों से ठीक पहले किसी भी राज्य में लागू

इस अधिनियम का प्रारंभ, जो इसके साथ असंगत है

इस अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के प्रावधान भारत के एन. आई. ओ. एन. और ए. एन. आर. के सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक लागू रहेंगे।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

या अन्य सक्षम प्राधिकारी या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति तक, जो भी पहले हो।

26. इस स्तर पर, यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि संविधान एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 में, खंड 18 पर अतिरिक्त कर के आवंटन की व्यवस्था के प्रावधान में

राज्यों को दो वर्ष के लिए या ऐसी अन्य अवधि के लिए अनुशंसित औंसिल, जो निम्नलिखित प्रभाव से था:

" 18. राज्यों को दो साल या ऐसी अन्य अवधि के लिए माल की आपूर्ति पर अतिरिक्त कर लगाने की व्यवस्था।

परिषद द्वारा अनुशंसित (1) वस्तुओं की आपूर्ति पर एक प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त कर नहीं। अंतर-राज्यीय अवधि में

व्यापार या वाणिज्य, इसमें निहित किसी भी चीज़ के बावजूद,

दो वर्ष या ऐसी अन्य अवधि के लिए भारत सरकार वस्तु और सेवा कर परिषद जैसी सिफारिश करे, और ऐसा कर राज्यों को निम्नलिखित तरीके से सौंपा जाएगा:

खंड (2)।

(2) किसी भी वित्तीय वर्ष में माल की आपूर्ति पर अतिरिक्त कर की शुद्ध आय, संघ को देय आय को छोड़कर। राज्यक्षेत्र, भारत की संचित निधि का भाग नहीं होंगे और यह माना जाएगा कि वे उन राज्यों को सौंपे गए हैं जहां से

आपूर्ति शुरू होती है।

(3) भारत सरकार, जहाँ वह आवश्यक समझे,

जनहित में, ऐसी वस्तुओं को कर लगाने से छूट दी जाए।

खंड (1) के अधीन। (4) संसद, कानून द्वारा, उस मूल स्थान को निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है जहाँ से माल की आपूर्ति होती है।

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य का पाठ्यक्रम।

27. खंड 19 में माल और सेवा कर की शुरुआत से राजस्व गणना के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा दिया गया है। धाराओं का खंड 19 इस प्रकार है:

" 19. राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा वस्तु एवं सेवा कर लागू करना। - संसद कर सकती है,

कानून द्वारा, वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर, राज्यों को राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान [2018] 13 एस. सी. आर.

वस्तुओं और सेवाओं के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाली

ऐसी अवधि के लिए कर जो पाँच साल तक बढ़ सकता है।

28. हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया गया था, लेकिन खंड 18

विधेयक को शामिल नहीं किया गया और खंड 19 को संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के रूप में स्थान दिया गया। उपरोक्त संविधान संशोधन के बाद, संसद ने केंद्रीय अधिनियम लागू किया

वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्या 12 दिनांक 12.04.2017) केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर आपूर्ति पर और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है। उसी दिन, केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति पर और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए कर लगाने और संग्रह का प्रावधान करने के लिए 'एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017' (2017 का अधिनियम संख्या 13 दिनांक 12.04.2017) नामक एक अन्य अधिनियम लागू किया गया था। 'केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017' (2017 का अधिनियम संख्या 14) नामक एक अन्य अधिनियम उसी दिन पारित किया गया था ताकि केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर आपूर्ति पर और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान किया जा सके। चौथा

संसदीय अधिनियम, जो वर्तमान मामले में चुनौती का विषय है, उसी दिन अधिनियमित किया गया था, अर्थात 'वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017' (अधिनियम संख्या। 2017 का 15) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान करना। जैसा कि प्रस्तावना से पता चलता है (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 को संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था। राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 की धारा 8 में उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान है, जो इस प्रकार है:

8. कर और उपकर का संग्रह। (1) वहाँ एक लगाया जाएगा

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9 में यथा उपबंधित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 में यथा उपबंधित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति पर उपकर और भारत संघ और ए. एन. आर. प्रदान

करने के प्रयोजनों के लिए परिषद की सिफारिशों पर ऐसी रीति से एकत्र किया जाता है जो विहित की जाए।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

बशर्ते कि ऐसा कोई उपकर उस कर योग्य व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति पर नहीं लगाया जाएगा जिसने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के तहत संयोजन शुल्क का विकल्प चुनने का निर्णय लिया है। (2) माल और सेवाओं की ऐसी आपूर्ति पर उपकर लगाया जाएगा जो अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट हैं, मूल्य, मात्रा या ऐसे आधार पर ऐसी दर पर जो कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्धारित दर से अधिक न हो।

अनुसूची, जैसा कि केंद्र सरकार कर सकती है,

परिषद की सिफारिशें, आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा

राजपत्र में निर्दिष्ट कीजिए:

बशर्ते कि जहां किसी भी आपूर्ति पर उपकर देय हो

माल या सेवाएँ या दोनों, उनके मूल्य के संदर्भ में, ऐसी प्रत्येक आपूर्ति के लिए मूल्य केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के तहत सभी अंतर-राज्य और अंतर-राज्य माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के लिए निर्धारित किया जाएगा:

बशर्ते कि भारत में आयातित वस्तुओं पर उपकर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार उस समय लगाया और एकत्र किया जाएगा जब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 12 के तहत सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के तहत निर्धारित मूल्य पर लगाया जाता है।

29. धारा 12 (1) केंद्र सरकार को सिफारिश पर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। परिषद से। परिषद को अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित किया गया है कि "परिषद का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 279 ए के प्रावधान के तहत गठित वस्तु और सेवा कर परिषद"। धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की अनुसूची में कॉलम 2 में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का विवरण है; कॉलम 3 में टैरिफ आइटम, शीर्षक, उप-शीर्षक, अध्याय या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा भी मामला हो, और कॉलम 4 में अधिकतम दर जिस पर माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर एकत्र किया जा सकता है। केंद्र सरकार, धारा [2018] 13 एस. सी. आर. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए।

12 , "केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017" नामक नियम बनाए गए हैं।

30. संसद ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, वित्त अधिनियम, 2001 और वित्त अधिनियम, 2005 में संशोधन करने और कुछ अधिनियमों को निरस्त करने के लिए कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2017 दिनांक आई. डी. 1 को अधिनियमित किया। 31. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा वित्त अधिनियम, 2010, अध्याय VII को निरस्त कर दिया गया है। वित्त अधिनियम, 2010, अध्याय

VII ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाने का प्रावधान किया, जिसे निरस्त कर दिया गया।

32. अब हम ऊपर बताए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

क्या राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 संसद की विधायी क्षमता से परे है? (मुद्दा संख्या 1)

33. याचिकाकर्ताओं ने विधायी क्षमता को चुनौती दी है

संसद राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 बनाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विवादित कानून ने संविधान के तहत दी गई अपनी शक्ति की सीमाओं का उल्लंघन किया है। यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि विवादित कानून को राज्यों को मुआवजा देने के उद्देश्य से वर्णित किया गया है

केंद्र द्वारा राज्यों को राजस्व के नुकसान के लिए लेकिन वास्तव में यह कर (उपकर के रूप में जाना जाता है) लगाता है, इसलिए सार और सार में कानून अपनी शक्ति की सीमाओं के भीतर आने वाले विषय से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके बाहर है।

34. संविधान का भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, जिसका अध्याय I "विधायी" से संबंधित है।

संबंध "। अनुच्छेद 245 "विधायी शक्तियों के वितरण" से संबंधित है। संसद के पास किसी भी मामले में कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I में उल्लिखित मामले। संसद, और अनुच्छेद 246 के खंड (1) के अधीन, किसी राज्य के विधानमंडल को भी इनमें से किसी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

सातवीं अनुसूची की सूची III में सूचीबद्ध मामले। अनुच्छेद 248 निम्नलिखित तरीके से विधान की अवशिष्ट शक्ति से संबंधित है:

अनुच्छेद 248-विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ-(1) अनुच्छेद 246 ए के अधीन, संसद को समवर्ती में सूचीबद्ध नहीं किए गए मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

सूची या राज्य सूची।

(2) ऐसी शक्ति में कोई ऐसा कर अधिरोपित करने वाला कोई भी कानून बनाने की शक्ति शामिल होगी जिसका उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं है।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

35. अनुच्छेद 246 ए, जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रदान करता है कि "अनुच्छेद 246 और 254 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद और, खंड (2) के अधीन, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

राज्य "। वर्तमान मामले में, हम राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 द्वारा लगाए गए उपकर से चिंतित हैं। अधिनियम की धारा 8 उपकर के संग्रह को लागू करती है और अधिकृत करती है। हमें पहले उपकर की प्रकृति की जांच करने की आवश्यकता है। सेस को ब्लैक लॉ डिक्शनरी, दसवें संस्करण में "एन" के रूप में परिभाषित किया गया है

निर्धारण या कर "।

36. पी. रामनाथ अय्यर, एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण

उपकर को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" उपकर "एक निर्धारण कर है; लेवी; विशेष रूप से: (क) एक दर या स्थानीय कर। (ख) स्कॉटलैंड में भूमि कर। ((c) भारत में, एक के लिए कर

विशेष उद्देश्य; एक सड़क उपकर के रूप में "। (वेबस्टर)

"उपकर" शब्द का उपयोग आयरलैंड में किया जाता है और अभी भी भारत में उपयोग में है, हालांकि इंग्लैंड में दर शब्द ने इसकी जगह ले ली है। इसका मतलब है एक कर

और आम तौर पर तब उपयोग किया जाता है जब शुल्क कुछ विशेष के लिए होता है

प्रशासनिक व्यय जिसे नाम (स्वास्थ्य उपकर, शिक्षा उपकर, सड़क उपकर, आदि) इंगित करता है। जब वृद्धि के रूप में लगाया जाता है

एक मौजूदा कर में, नाम उपकर की वैधता के लिए मायने नहीं रखता है, उसी तरह से आंका जाना चाहिए जिस तरह से कर की वैधता एक वृद्धि है। गुरुस्वामी एंड कंपनी वी. मैसूर राज्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1512, प्रति असहमत न्यायाधीश और इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम। टी. एन. राज्य, ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 85. 'उपकर' शब्द का अर्थ है एक कर और आमतौर पर इसका उपयोग तब किया जाता है जब लेवी किसी विशेष प्रशासनिक खर्च के लिए होती है जिसे नाम (स्वास्थ्य उपकर, शिक्षा उपकर, सड़क उपकर, आदि) इंगित करता है। शिंदे ब्रदर्स बनाम। हाय। आयुक्त, रायचूर, ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1512,1525 "।

37. इस न्यायालय ने शिंदे ब्रदर्स आदि में "उपकर" अभिव्यक्ति पर विचार किया था। बनाम। उपायुक्त, रायचूर और अन्य आदि।

ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1512, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला, जैसा कि वे तब अपनी असहमत राय में थे, ने पैराग्राफ 39 में उपकर ("उस संबंध में बहुमत द्वारा कोई विपरीत राय व्यक्त नहीं की गई थी") को परिभाषित किया है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

" 39. अब स्वास्थ्य उपकर पहले इस आधार पर लगाया जाता है कि विधायी प्रविष्टियों में कोई प्रवेश "स्वास्थ्य उपकर" नहीं है।

"उपकर" शब्द का उपयोग आयरलैंड में किया जाता है और अभी भी भारत में उपयोग में है, हालांकि इंग्लैंड में दर शब्द ने इसकी जगह ले ली है। इसका अर्थ है एक कर और आमतौर पर इसका उपयोग तब किया जाता है जब लेवी किसी विशेष प्रशासनिक खर्च के लिए होती है जिसे नाम (स्वास्थ्य उपकर, शिक्षा उपकर, सड़क उपकर आदि) इंगित करता है। जब किसी मौजूदा कर में वृद्धि के रूप में लगाया जाता है, तो नाम उपकर की वैधता के लिए मायने नहीं रखता है, उसी तरह से आंका जाना चाहिए जिस तरह से कर की वैधता के लिए यह वृद्धि है। अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित अनुसूची ए (1) द्वारा, इसे कर के साथ एक अतिरिक्त लेवी के रूप में एकत्र किया जाता है, जो, जैसा कि अनुसूची ए में वर्णित है, निस्संदेह राज्य विधानमंडल की शक्तियों के भीतर एक है और ऐसा इससे पहले भी किया गया है।

संविधान।

38. भारत में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले में

एंट लिमिटेड और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, (1990)

सी 12, हिदायतुल्लाह, जे द्वारा दी गई उपरोक्त परिभाषा को उद्धृत किया गया था।पैरा 19 में अनुमोदन, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है: - =

" 19. यहाँ, हम रॉयल्टी पर उपकर के बारे में चिंतित हैं। हिदायतुल्ला, जे. की टिप्पणियों से, जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश उस समय गुरुस्वामी एंड कंपनी बनाम में थे, किसी को भी अंदाजा हो सकता है कि उपकर क्या है।

मैसूर राज्य 9 जहाँ पृष्ठ 571 पर विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी की:

" 'उपकर' शब्द का उपयोग आयरलैंड में किया जाता है और अभी भी भारत में उपयोग में है, हालांकि इंग्लैंड में दर शब्द ने इसकी जगह ले ली है। इसका अर्थ है एक कर और आमतौर पर इसका उपयोग तब किया जाता है जब लेवी किसी विशेष प्रशासनिक खर्च के लिए होती है जिसे नाम (स्वास्थ्य उपकर, शिक्षा उपकर, सड़क उपकर आदि) इंगित करता है। जब वृद्धि के रूप में लगाया जाता है एक मौजूदा कर के लिए, नाम उपकर की वैधता के लिए मायने नहीं रखता है उसी तरह से न्याय किया जाना चाहिए जैसे की

कर जिसमें यह एक वृद्धि है "।

39. "उपकर" का अर्थ जैसा कि ऊपर देखा गया है, विजयलक्ष्मी राइस में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को फिर से दोहराया गया।

& अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, पालकोल और अन्य,

5) 6 एस. सी. सी. 763, पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

" 13. इसलिए आम तौर पर उपकर भी एक कर है, लेकिन यह एक विशेष प्रकार का कर है। आम तौर पर कर राजस्व बढ़ाता है जिसका उपयोग आम तौर पर राज्य द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आयकर या उत्पाद शुल्क या बिक्री कर वे कर हैं जो भारत और ए. एन. आर. संघ के बीच राजस्व उत्पन्न करते हैं।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य उपकर राजस्व बढ़ाता है जिसका उपयोग स्वास्थ्य उद्देश्यों जैसे अस्पताल बनाना, गरीबों को दवा देना आदि के लिए किया जाता है। इसी तरह शिक्षा उपकर राजस्व बढ़ाता है जिसका उपयोग स्कूलों के निर्माण या अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए किया जाता है। उद्देश्य "।

40. जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है "उपकर" का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया कर, जिसे मौजूदा कर में वृद्धि के रूप में लगाया जा सकता है। राज्यों को मुआवजे की योजना अधिनियम, 2017, जैसा कि ऊपर देखा गया है, इंगित करता है कि उपकर वस्तु और सेवा कर के संबंध में है। राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 को लागू करने के लिए संसद की विधायी क्षमता को बनाए रखने के लिए एक से अधिक कारण हैं। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने भारत संघ बनाम (1971) 2 एस. सी. सी. 779 मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि किसी विशेष मामले के संबंध में संसद की विधायी क्षमता की जांच करते समय केवल एक ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए।

अधिनियम इस प्रकार है: क्या मामले को कानून बनाने या सूची II या सूची III में शामिल करने की इच्छा है या सूची II या सूची III में उल्लिखित कर लगाने की इच्छा है? अनुच्छेद 21 में, संविधान पीठ ने निम्नलिखित निर्धारित किया:

" 21. हमें ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 246 (1) का कार्य, जिसे प्रविष्टियों 1-96, सूची I के साथ पढ़ा जाता है, संसद को इन प्रविष्टियों के संबंध में कानून बनाने की सकारात्मक शक्ति देना है। उद्देश्य संसद को किसी मामले पर कानून बनाने से रोकना नहीं है, भले ही संविधान के अन्य प्रावधान उसे ऐसा करने में सक्षम बनाते हों। तदनुसार हम नहीं करते हैं प्रविष्टि 97, सूची I में आने वाले "किसी भी अन्य मामले" शब्दों की व्याख्या बहिष्करण के रूप में उल्लिखित विषय के अर्थ में करें। ये शब्द वास्तव में प्रत्येक प्रविष्टि 1 से 96 में निहित मामलों को संदर्भित करते हैं। "कोई अन्य पदार्थ" शब्दों का उपयोग किया जाना था क्योंकि प्रविष्टि 97, सूची I प्रविष्टियों 1-96, सूची I का अनुसरण करती है।

कानून का सीमांकन प्रविष्टियों 1-96, सूची I द्वारा किया गया है, लेकिन सीमांकन का मतलब यह नहीं है कि यदि प्रविष्टि 97, सूची I अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करती है, तो हमें इसे लागू करने से इनकार कर देना चाहिए। किसी भी तरह से, प्रविष्टि 97, सूची I की व्याख्या पर जो भी संदेह हो, उसे अनुच्छेद 248 की व्यापक शर्तों द्वारा हटा दिया जाता है। इसे व्यापकतम संभव शब्दों में तैयार किया गया है। इसकी शर्तों पर एकमात्र सवाल पूछा जाना चाहिए:

क्या

मामला [2018] 13 एस. सी. आर. है?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसे सूची II या सूची III में विधिबद्ध या शामिल किया जाना चाहिए या सूची II या सूची III में उल्लिखित कर लगाया जाना चाहिए: सूची I के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। यदि उत्तर नकारात्मक है तो इसका मतलब है कि संसद को उस मामले या कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

उपकर का उद्ग्रहण। अनुच्छेद 246 और 246ए के साथ पठित अनुच्छेद 248 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधान की अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है। वर्तमान मामले में, हम देख सकते हैं कि हमारे सामने कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि विधान का विषय राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर था, और यह कि संसद को इसके लिए कोई क्षमता नहीं थी। कानून बनाएँ। एच. एस. ढिल्लों के परीक्षण (ऊपर) को लागू करते हुए, हम संसद में विधायी क्षमता की कोई कमी नहीं पाते हैं।

42. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया, अर्थात् होक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम राज्य।

कर लगाने की शक्ति का अनुमान सहायक शक्ति के रूप में सामान्य विधायी प्रविष्टि से नहीं लगाया जा सकता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि राज्य क्षतिपूर्ति उपकर किसी भी कर प्रविष्टि के दायरे में नहीं आने के कारण, यह कानून संसद की क्षमता से परे है। हम सबसे पहले उस प्रस्ताव पर ध्यान दे सकते हैं, जिसे इस अदालत ने होक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) में निर्धारित किया है। उपरोक्त मामले में इस अदालत को बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की जांच करने का अवसर मिला था, जिसके द्वारा दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाले कुछ विक्रेताओं पर अधिभार लगाया गया था। विधायी क्षमता के लिए चुनौती राज्य का उदय हुआ। उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा था कि विधायी क्षमता के उद्देश्यों के लिए कराधान को एक अलग मामला माना जाता है। पैराग्राफ 74,75 और 76 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था:

" 74. यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि तीनों सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियां कानून की 'शक्तियां' नहीं हैं, बल्कि कानून के 'क्षेत्र' हैं। कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 246 और संविधान के अन्य अनुच्छेदों द्वारा दी गई है।

संविधान। विधायी क्षमता के उद्देश्यों के लिए कराधान को एक अलग मामला माना जाता है। इसलिए, कर लगाने की शक्ति को एक सहायक शक्ति के रूप में सामान्य विधायी प्रविष्टि से नहीं निकाला जा सकता है। इसके अलावा, कर का तत्व सीधे भारत के एन. आई. ओ. एन. और ए. एन. आर. से नहीं आता है।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

सूची III की प्रविष्टि 33 के तहत आवश्यक वस्तुओं के व्यापार या वाणिज्य और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने की शक्ति, हालांकि कर का भुगतान करने का दायित्व केंद्र की मूल्य नियंत्रण की शक्ति के लिए एक आकस्मिक मामला हो सकता है।

75. " संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध

अनुसूची VII में तीन सूचियों के संदर्भ में प्रकट की गई सामान्य विशेषताओं की जांच किए बिना पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। उन सूचियों में निहित प्रविष्टियों के अनुसार: सीरवई ने भारत के अपने संवैधानिक कानून में, तीसरी संस्करण। , खण्ड. 1 पीपी में। 81-82 . सातवीं अनुसूची की सूची I और II की जांच से पता चलता है कि कोई नहीं है

कर लगाने की शक्ति और संविधान में कहीं भी अतिव्यापी संघ और राज्यों को कराधान के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है।

76. अतः यह प्रतीत होता है कि विधान और कराधान के सामान्य विषयों के बीच अंतर किया गया है। विधान के सामान्य विषयों को एक अलग समूह में प्रविष्टियों और कराधान की शक्ति के एक समूह में निपटाया जाता है। एम. पी. वी. सुंदररामियर में & को. वी. A.P.43 की स्थिति इस न्यायालय ने पारस्परिक रूप से अनन्य सूचियों द्वारा संघ और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों को अलग करने की योजना पर विचार किया। सूची I में, प्रविष्टि 1 से 81 कानून के सामान्य विषयों से संबंधित हैं; प्रविष्टि 82 से 92-करों से संबंधित। सूची II में, प्रविष्टियाँ 1 से 44 कानून के सामान्य विषयों से संबंधित हैं;

प्रविष्टियाँ 45 से 63 करों से संबंधित हैं। यह पारस्परिक विशिष्टता इस तथ्य से भी सामने आती है कि सूची III में समवर्ती विधान

सूची में, कर से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है, लेकिन इसमें केवल न्यायालय शुल्क के अलावा उस सूची में दिए गए मामलों के संबंध में शुल्क लगाने से संबंधित एक प्रविष्टि है। इस प्रकार, हमारे संविधान में, संघ और राज्यों की कर लगाने की शक्ति का टकराव पैदा नहीं हो सकता है। ऐसा होने पर, इस दलील को समझना मुश्किल है कि सूची III की प्रविष्टि 33 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ हो सकती है। सातवीं की सूची II की प्रविष्टि 54 से संबंधित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने और लागू करने के संबंध में कानून बनाने की राज्य की अनन्य शक्ति

अनुसूची. यह दो कानूनों का अनुसरण करता है। धारा [2018] 13 एस. सी. आर. की उप-धारा (3)

5 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम और नियंत्रण आदेश के पैरा 21 के तहत दो अलग-अलग और अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया जाता है और दोनों का पालन किया जा सकता है। इन दोनों कानूनों के बीच टकराव का कोई सवाल ही नहीं है और तिरस्कार का सवाल भी है।

खेल में न आएं। "

43. सूची II की प्रविष्टि 52 के संदर्भ में अधिभार के शुल्क को बरकरार रखा गया था।

वेंथ अनुसूची। पैराग्राफ 90 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 90. फर्नांडीज मामले में निर्णय, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 657 इसलिए स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि संविधान के अनुच्छेद 286 के बावजूद राज्य विधानमंडल सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के तहत एक कानून बनाते समय, एक व्यापारी के पंजीकरण और रिटर्न जमा करने के उद्देश्यों के लिए कर सकता है। बिक्री कर में संविधान के अनुच्छेद 286 के अंतर्गत आने वाले लेन-देन शामिल हैं। ऐसा होने पर, उप की संवैधानिक वैधता

अधिनियम की धारा 5 की धारा (1) जो एक वर्ष के दौरान सकल कारोबार करने वाले विक्रेताओं का वर्गीकरण

अधिभार लगाने के उद्देश्य से 5 लाख रुपये से अधिक, उसके द्वारा देय कर के अलावा, उपलब्ध नहीं है। जब तक अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री या राज्य के बाहर बिक्री भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर आयात या निर्यात के दौरान राज्य और बिक्री पर कर नहीं लगाया जाता है, राज्य के भीतर व्यापारी के कुल कारोबार को ध्यान में रखते हुए सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के तहत अधिभार लगाने के लिए कानून बनाते समय राज्य विधानमंडल को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है और अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अनुसार, यह प्रावधान है कि यदि ऐसे व्यापारी का सकल कारोबार 5 लाख रुपये से अधिक है।

एक वर्ष में, वह कर के अलावा, कर के 10 प्रतिशत से अधिक की दर पर अधिभार भी का भुगतान करेगा।

प्रदान किया गया। अधिभार का भुगतान करने का दायित्व अनुच्छेद 286 द्वारा कवर किए गए लेनदेन सहित सकल कारोबार पर नहीं है, बल्कि केवल आंतरिक बिक्री पर है और उस पर अधिभार लगाने की मांग की जाती है।

व्यापारी जिनके पास आर्थिक स्थिति है श्रेष्ठता।

44. एम. पी. वी. सुंदररामियर (ऊपर) में इस न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि सामान्य प्रविष्टि के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है। वर्तमान में वस्तु और सेवा कर, भारत संघ और ए. एन. आर. के संबंध में उपकर लगाया जाता है।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

धारा 2 (सी) में राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 में दी गई उपकर की परिभाषा में कहा गया है कि "उपकर का अर्थ है धारा 8 के तहत लगाया गया वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर"। होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) और एम. पी. वी. सुंदररामियर (ऊपर) में याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।

45. सूची I की प्रविष्टि 97 भी उसी निष्कर्ष पर ले जाती है, संदर्भ के लिए, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

" 97. कोई अन्य मामला जो सूची II या सूची III में सूचीबद्ध नहीं है, जिसमें कोई भी कर शामिल है जिसका उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं है।

46. संविधान का अनुच्छेद 270, जैसा कि यह संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 से पहले मौजूद था और संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 के बाद "संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाया गया कोई भी उपकर" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 से पहले जो अनुच्छेद 270 (1) था, वह इस प्रकार है:

" Art.270। (1) संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क,

कला में निर्दिष्ट शुल्कों और करों को छोड़कर। 268 , 268ए और 269 क्रमशः, अनुच्छेद में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार। 271 और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाया गया कोई उपकर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा और इसे संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। खंड (2) में उपबंधित रीति।"

47. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के बाद, अनुच्छेद 270 के अनुसार, संसद अपने द्वारा बनाए गए कानून के तहत एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपकर लगा सकती है। इस प्रकार, अनुच्छेद 270 विशेष रूप से सशक्त बनाता है

संसद, वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को "कानून द्वारा" मुआवजे का प्रावधान करेगी। "जब संविधान का प्रावधान संसद को कानून द्वारा राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान करने का अधिकार देता है, तो उसमें उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति" कानून "व्यापक महत्व की होती है जिसमें उपरोक्त उद्देश्य के लिए कोई भी उपकर लगाना शामिल है। इस प्रकार, हम प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि संसद के पास राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 लागू करने की कोई विधायी क्षमता नहीं है।

इस प्रकार, अंक संख्या 1 का उत्तर इस प्रकार है:

राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 विधायी प्रावधानों से परे नहीं है संसद की क्षमता।

अंक संख्या 2 और अंक संख्या 3

48. अब हम अंक संख्या 2 और अंक संख्या 3 पर आते हैं, जो आपस में जुड़े हुए, एक साथ लिए जाते हैं।

49. राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 पर अगला हमला जारी है। यह आधार कि यह अधिनियम संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अधिदेश का उल्लंघन करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 उन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर लगाने की अनुमति नहीं देता है जिन पर वस्तु और सेवा कर लगाया गया है। प्रस्तुतिकरण का विस्तार करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 का स्पष्ट उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों, केंद्र और राज्य अधिभारों और उपकरों को शामिल करना था, जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं। जब सभी करों, अधिभारों और उपकरों को वस्तु और सेवा कर में शामिल कर दिया गया था, तो राज्यों पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाना स्पष्ट रूप से संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के खिलाफ है। संविधान के उद्देश्यों और कारणों के विवरण (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014, जैसा कि ऊपर देखा गया है, विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क, केंद्रीय अधिभार और उपकर को शामिल करना था, जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं।

50. उद्देश्यों के विवरणों में देखे गए उद्देश्यों में से एक और इसका कारण था "संसद और राज्य विधानमंडल को वस्तुओं और सेवाओं को लागू करने के लिए कानून बनाने के लिए समवर्ती कर लगाने की शक्तियां प्रदान करना। कर "। अनुच्छेद 246 ए उप-अनुच्छेद (1) संसद को "वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने" का अधिकार देता है। "के संबंध में" शब्द विस्तार का शब्द है। इसी तरह की अभिव्यक्तियाँ, अर्थात् "संबंधित", "के संबंध में" इस न्यायालय के समक्ष मेसर्स में विचार किया जाने लगा। डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ और अन्य, (1988) 2 एस. सी. सी. 299 , जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त अभिव्यक्तियों का उपयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है। पैराग्राफ 48 और 49 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

..... "संबंधित", "संबंध में अभिव्यक्तियाँ

" 48 .....

डीमिंग प्रावधान में उपयोग किए जाने वाले "से" और "से उत्पन्न होने वाले" का उपयोग भारत संघ और ए. एन. आर. में किया जाता है।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार, विस्तृत अर्थ, मानक शब्दकोशों में पाए जाने वाले अर्थ, और संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) के अनुरूप व्यापक और उदार व्याख्या के सिद्धांत।

संविधान।

49. "उत्पन्न होने वाले" शब्दों का उपयोग इस अर्थ में किया गया है कि इसमें कानपुर उपक्रम से उत्पन्न आय से शेयरों और भूमि की खरीद शामिल है। हमारी राय है कि "संबंधित" और "संबंध में" शब्दों का समान व्यापक अर्थ है और अन्य कारणों के बीच एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया गया है।

जिसमें एक ही खंड या वाक्य में एक ही वाक्यांश की पुनरावृत्ति से बचना शामिल हो सकता है, एक ऐसी विधि जिसका अच्छे प्रारूपण में पालन किया जाता है। "पर्टेन" शब्द "रिलेट" शब्द का पर्याय है, कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम, खंड 17, पृष्ठ 693 देखें।

51. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दीवान चंद बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है।

बनाम भारत संघ और अन्य, (2012) 1 एस. सी. सी. 101। संसद ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 लागू किया था। संसद की संवैधानिक वैधता और क्षमता को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। अदालत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) केंद्रीय नियम, 1998 की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 97 के लिए संदर्भित शुल्क के रूप में विवादित अधिनियम के तहत शुल्क लगाया गया था। इस न्यायालय के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि विचाराधीन उपकर एक कर था न कि उपकर क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं है

यदि यह एक कर है, तो यह अनुसूची VII सूची II प्रविष्टि 49 के दायरे में आने वाली "भूमि और भवनों" पर एक कर है। पैराग्राफ 23 में निम्नलिखित प्रभाव का तर्क देखा गया था:

" 23. अपीलार्थी की ओर से उठाए गए तर्कों से यह स्पष्ट है कि विधायिका पर दोतरफा हमला किया गया है।

उपकर अधिनियम को लागू करने के लिए संसद की क्षमता: ((i) यह एक "कर" है।

और "उपकर" नहीं क्योंकि उपकर का भुगतान करने वाले और लाभार्थी के बीच परस्पर लाभ का कोई तत्व मौजूद नहीं है, और (ii) यदि यह एक "कर" है तो यह अनुसूची VII सूची II प्रविष्टि 49 (राज्य सूची) के दायरे में आने वाली "भूमि और भवनों" पर कर है, जिससे विधायी व्यवस्था समाप्त हो जाती है।

संसद की क्षमता। "[2018] 13 एस. सी. आर.

52. इस न्यायालय ने शुल्क और कर के बीच के अंतर को देखा और इस न्यायालय के निर्णय सहित पहले के निर्णयों का उल्लेख किया। आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, ए. आई. आर. 1954 एस. सी.

282. इस न्यायालय ने उपकर को शुल्क के रूप में बरकरार रखा, न कि कर के रूप में। पैराग्राफ 31 में, इस न्यायालय द्वारा शुल्क के रूप में शुल्क को बरकरार रखने के कारण दिए गए हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

" 31. हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि

उपकर अधिनियम के उद्देश्य और कारण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि

इस अधिनियम का आवश्यक उद्देश्य बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत कल्याण कोष को बढ़ाना है। पर उपकर का अधिरोपण

भवन और अन्य निर्माण कार्यों पर नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत कल्याण बोर्डों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों को शुरू करने के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए है। इस प्रकार एकत्र की गई निधि को बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम में निर्दिष्ट विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्देशित किया जाता है। इसलिए, उपरोक्त में निर्धारित सिद्धांत को लागू करना

इस न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि उक्त शुल्क एक "शुल्क" है न कि "कर"। उक्त निधि को अलग रखा गया है और विशेष रूप से विनियोजित किया गया है

निर्दिष्ट उद्देश्य के निष्पादन के लिए; इसे आम जनता के लाभ के लिए सार्वजनिक राजस्व में विलय नहीं किया जाता है और इस तरह उपकर और जिस उद्देश्य के लिए इसे लगाया जाता है, उसके बीच संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे योजना में क्विड प्रो क्वो के तत्व को संतुष्ट किया जाता है। उपकर अधिनियम की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, विषय

लेवी को "शुल्क" के रूप में माना जाना चाहिए न कि "कर" के रूप में। इस प्रकार, हम समर्थन करते हैं

और इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

53. उपरोक्त निर्णय का मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संघ का मामला यह नहीं है कि उपकर एक शुल्क है। बल्कि विवाद यह है कि यह वस्तु और सेवा कर में वृद्धि है। हम पहले ही मान चुके हैं कि राज्य क्षतिपूर्ति उपकर वस्तु और सेवा कर के संबंध में है, यह एक कर है। 54. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कर और शुल्क के बीच अंतर पर कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है। लेकिन वर्तमान मामले

में उपकर लगाने का दावा शुल्क के रूप में भी नहीं किया गया है, उपरोक्त मामलों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जो आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ (उपरोक्त) के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी से निकले सुस्थापित सिद्धांतों को दोहराते हैं।

55. अनुच्छेद 246ए में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति" है। इस प्रकार, कानून बनाने की शक्ति सामान्य प्रविष्टि से संबंधित सामान्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह विशेष रूप से वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। जब वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने के लिए व्यक्त शक्ति होती है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि इस शक्ति में वस्तु और सेवा कर पर उपकर लगाने की शक्ति कैसे शामिल नहीं होगी। यह सच है कि संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 विभिन्न करों, अधिभारों और उपकरों को एक कर में समाहित करने के लिए पारित किया गया था, लेकिन संवैधानिक प्रावधान यह संकेत नहीं देता है कि अब से कोई अधिभार या उपकर नहीं लगाया जाएगा।

56. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 की धारा 18 का उल्लेख किया है, जिसमें प्रति व्यक्ति एक से अधिक वस्तुओं की आपूर्ति पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है।

प्रतिशत पर विचार किया गया, जिसे संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 में जगह नहीं मिली। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त कर, जिसे संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा प्रस्तावित किया गया था, में जगह पाने की अनुमति नहीं दी गई थी संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि संविधान संशोधन ने निम्नलिखित को लागू करने पर विचार नहीं किया था:

सेवा और माल कर पर अतिरिक्त कर। उपरोक्त निवेदन जहां तक संविधान (एक सौ प्रथम संशोधन) अधिनियम में वस्तुओं की आपूर्ति पर अतिरिक्त कर जारी नहीं रखने का संबंध है, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का निवेदन सही है कि अतिरिक्त कर, जिस पर विधेयक के खंड 18 द्वारा विचार किया गया था, को संविधान संशोधन अधिनियम में जगह नहीं मिली। इसके अलावा, विधेयक के खंड 19 को संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के रूप में स्थान मिलता है। इस प्रकार, राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान करने वाली कानून बनाने की संसद की शक्ति को संवैधानिक प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। 57. इसके अलावा, राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 की प्रस्तावना में संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान करने के लिए अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 को स्पष्ट संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के तहत अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में भी कोई बल नहीं पाते हैं कि [2018] 13 एस. सी. आर.

राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करता है।

58. उपरोक्त कारणों से, हम याचिकाकर्ता के निवेदन में कोई सार नहीं पाते हैं कि राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 एक

रंगीन कानून। हम यह मानते हुए कि संसद के पास अधिनियम को लागू करने की पूर्ण विधायी क्षमता है और अधिनियम को संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया है और इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करना है, हम याचिकाकर्ता की इस दलील को अस्वीकार करते हैं कि राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 एक रंगीन कानून है। हम, इस प्रकार, अंक संख्या 2 और अंक संख्या 3 का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैं:

उत्तर। 2 - राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 का उल्लंघन नहीं करता है और न ही संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उद्देश्य के खिलाफ है। Ans.3-
राज्यों को मुआवजा अधिनियम एक रंगीन नहीं है

कानून।

क्या एक ही कर लगाने की स्थिति में राज्यों पर उपकर और जी. एस. टी. लगाने की कानून में अनुमति है? (मुद्दा संख्या 4)

59. याचिकाकर्ता ने अपने तर्क को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए कहा कि विवादित कानून की धारा 8 के अनुसार अंतरराज्यीय उपकर लगाया जाएगा।

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 9 में प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं की राज्य आपूर्ति जबकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 246ए के तहत प्रदान किए गए कर को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह आई. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाए गए उपकर के संबंध में भी सच है। इसलिए, एक ही लेन-देन पर दो शुल्क नहीं हो सकते हैं, एक सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत और दूसरा विवादित कानून के तहत क्योंकि यह दोहरे कराधान के बराबर होगा क्योंकि एक ही कर योग्य घटना और एक ही विषय पर शुल्क लगाया जाता है। इस प्रकार, कानून पर एक अतिव्यापी है जिसकी अनुमति नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि माल और सेवा कर पहले से ही 2017 के तीन अधिनियमों द्वारा लगाया जा रहा है, जैसा कि ऊपर देखा गया है कि राज्य क्षतिपूर्ति उपकर का अधिरोपण एक ही कराधान घटना पर लगाया जाता है और इसका अतिव्यापी प्रभाव पड़ता है।

60. यह सिद्धांत अच्छी तरह से तय किया गया है कि दो कर/ढोंग जो अलग-अलग और अलग-अलग ढोंग हैं और लेनदेन के दो अलग-अलग पहलुओं पर हैं। "कानून में कोई अतिव्यापी नहीं है" के रूप में अनुमत हैं।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

61. फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएट ऑफ इंडिया, आदि में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। बनाम भारत संघ और अन्य,

(1989) 3 एस. सी. सी. 634 ने अभिनिर्धारित किया कि किसी विषय के संबंध में एक कानून हो सकता है

संयोग से किसी अन्य विषय को किसी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन यह वही बात नहीं है। वहाँ अतिव्यापी हो सकता है लेकिन अतिव्यापी कानून में होना चाहिए। तथ्य यह है कि एक अतिव्यापी है से विचलित नहीं होता है

पहलुओं की विशिष्टता। इसलिए, यदि कर अलग हैं और

अलग-अलग पहलुओं पर अलग-अलग ढोंग और लगाए जाते हैं, तो कानून में कोई अतिव्यापी नहीं है। पैराग्राफ 31 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 31. वास्तव में, किसी विषय के संबंध में कानून संयोग से किसी अन्य विषय को किसी तरह से प्रभावित कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है।

जैसा कि कानून बाद के विषय पर है। हो सकता है कि

अतिव्यापी; लेकिन अतिव्यापी कानून में होना चाहिए। वैसा ही।

लेन-देन के विभिन्न पहलुओं में दो या दो से अधिक कर योग्य घटनाएँ शामिल हो सकती हैं। लेकिन यह तथ्य कि एक ओवरलैपिंग है, विचलित नहीं करता है पहलुओं की विशिष्टता से, लॉर्ड साइमंड्स ने गवर्नर जनरल में परिषद v. मद्रास प्रांत [1945] एफ. सी. आर. 177 पी. सी. 193 पर, उत्पाद शुल्क और कर की अवधारणाओं के संदर्भ में

वस्तुओं की बिक्री ने कहा:

" ..... दो कर, एक निर्माता पर उसके माल के संबंध में लगाया जाता है और दूसरा विक्रेता पर उसकी बिक्री के संबंध में लगाया जाता है, जैसा कि वहाँ बताया गया है, एक अर्थ में ओवरलैप हो सकता है। लेकिन कानून में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। कर अलग-अलग और अलग-अलग शुल्क हैं। यदि वास्तव में वे ओवरलैप होते हैं, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कर प्राधिकरण, उत्पाद शुल्क लागू करते हुए, उस समय उस शुल्क को लागू करना सुविधाजनक पाता है जब उत्पाद शुल्क के अवसर पर उत्पाद शुल्क पहली बार कारखाने या कार्यशाला से बाहर निकलता है।

बिक्री. 999

62. न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अविंदर सिंह और अन्य बनाम राज्य मामले में

पंजाब और अन्य, (1979) 1 एस. सी. सी. 137 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि एक ही विषय पर विधायिका दो बार कर लगाने का विकल्प चुनती है तो राजकोषीय साहस में कोई अंतर्निहित अयोग्यता नहीं है जब तक कि कुछ अन्य प्रतिबंध न हों। उपरोक्त मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब नगर निगम की धारा 90 (4) के तहत अधिसूचना जारी की थी।

लुधियाना नगर निगम के भीतर भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर 1 रुपये प्रति बोतल की दर से कर लगाने वाला अधिनियम, 1976। उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि लगाया गया कर बिक्री पर है, इसलिए, सरकारी शक्ति से परे है। पैराग्राफ 4 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था:

संघर्ष कठिनता से मरते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद जीवित रहते हैं। एकमात्र एपिटाफ जिसे हम लिख सकते हैं वह है: शांति से विश्राम करें और फिर से जन्म न लें! अगर उस पर एक ही विषय-जिस पर विधायिका दो बार कर लगाने का विकल्प चुनती है, राजकोषीय साहस में कोई अंतर्निहित अयोग्यता नहीं है सिवाय इसके कि जहां अन्य प्रतिबंध मौजूद हैं।

63. जैसा कि ऊपर देखा गया है, 2017 के अधिनियमों के तहत लगाया गया वस्तु और सेवा कर और सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति पर उपकर लगाना और सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति, इस प्रकार, कानून में दो अलग-अलग ढोंग हैं और किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं ताकि इसे अमान्य घोषित किया जा सके। 64. इस प्रकार, हम इस निवेदन में कोई सार नहीं पाते हैं कि एक ही कर योग्य घटना पर राज्यों पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की अनुमति नहीं है।

हम, इस प्रकार, अंक संख्या 4 का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैं:

राज्यों को मुआवजे का उपकर माल और सेवा कर में वृद्धि है जिसकी कानून में अनुमति है।

अंक संख्या 5

65. याचिकाकर्ता का अंतिम निवेदन यह है कि उसने कोयले के भंडार पर 30.06.2017 तक स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान किया है, वह कम से कम राज्यों के उपकर के मुआवजे के भुगतान में सेट ऑफ करने का हकदार है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, स्वच्छ ऊर्जा उपकर वित्त अधिनियम, 2010 के तहत लगाया गया था। स्वच्छ ऊर्जा उपकर और राज्य क्षतिपूर्ति उपकर पूरी तरह से अलग-अलग उद्देश्यों के लिए एकत्र किए जाते हैं। वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 की उप-धारा (3) के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा उपकर स्वच्छ ऊर्जा पहल के वित्तपोषण और बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के वित्तपोषण या किसी अन्य उद्देश्य के लिए लगाया और एकत्र किया गया था।

वी. मोहित खनिज पी. वी. टी. लिमिटेड। [अशोक भूषण, जे।]

इसके संबंध में जबकि राज्य क्षतिपूर्ति उपकर "वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान करने" के लिए एकत्र किया जाता है। 66. इस प्रकार एकत्र किए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर और जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण भी अलग-अलग है। वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 (6) के तहत स्वच्छ ऊर्जा उपकर का उपयोग संघ के उद्देश्यों के लिए किया जाना था और राज्यों को वितरित नहीं किया जाना था, जबकि राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए राज्यों के बीच क्षतिपूर्ति उपकर को पूरी तरह से वितरित किया जाना था।

67. याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि याचिकाकर्ता को 30.06.2017 तक स्वच्छ ऊर्जा उपकर के भुगतान का श्रेय दिया जाना चाहिए, भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा उपकर और राज्य

क्षतिपूर्ति उपकर एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग है, स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान अलग-अलग उद्देश्य के लिए था और इसका राज्यों के क्षतिपूर्ति उपकर से कोई संबंध या संबंध नहीं है। भुगतान में ऋण देना या ऋण चुकाना विधायी नीति है जिसे विधायी योजना में प्रतिबिंबित किया जाना था। राज्यों को मुआवजा अधिनियम, 2017 या उसके तहत बनाए गए नियम किसी भी तरह का ऋण देने या स्वच्छ ऊर्जा को बंद करने का संकेत नहीं देते हैं। उपकर का भुगतान पहले से ही 30.06.2017 तक किया जा चुका है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह दावा कि वह राज्यों को मुआवजे के भुगतान में उस हद तक छूट का हकदार है, जिस हद तक वह पहले ही स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान कर चुका है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

हम, इस प्रकार, अंक संख्या 5 का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैं:

याचिकाकर्ता राज्यों को मुआवजे के भुगतान में स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए किए गए किसी भी भुगतान के लिए हकदार नहीं है।

सेस। 68. पूर्वगामी चर्चाओं को देखते हुए, हम रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। स्थानांतरित मामला

तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। दोनों दीवानी अपीलों की अनुमति है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

माम

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन